# मुंबई पत्तन प्राधिकरण

## 26 जून 2023 को आयोजित विशेष बोर्ड बैठक संख्या 3 के संकल्प.

| अनु. क्र. | बी.आर. संख्या | विषय | पारित संकल्प | विभाग/ प्रभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | कच्चे तेल टैंकेजों को स्थापित करने हेतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. को जवाहर द्विप स्थित पुनरुधारित भूमि का आबंटन. | बोर्ड ने अनुलग्नक - I में यथा निर्धारित प्रारुप पट्टा करार को अनुमोदन प्रदान किया. | स्थापत्य अभियांत्रिकी |
| 2. | 40 | दिनांक 31.3.2023 को समाप्त हुए वर्ष के मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वार्षिक लेखे. | बोर्ड ने वार्षिक लेखें 2022-23 को अनुमोदित किया. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखें 2022-23 को लेखा परीक्षा हेतु प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, केंद्रीय मुंबई के साथ-साथ कर लेखा परीक्षा हेतु मेसर्स के.सी.जैन ॲण्ड कं., सनदी लेखापाल को अग्रेषित किया जाए. | वित्त |
| 3. | 41 | मझगांव स्थित 13,379.90 चौ. मीटर मापन के एकता नगर कालोनी भूखंड का (आर आर झोन 10/78जी) दरमान 2022-2027 पर अधारित संशोधित एलएसी सिफारिशों पर (रियायत के बिना) 60 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए नामांकन आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआय) को आबंटन. | बोर्ड ने नोट के पैरा 6 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव पर भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया. | संपदा |
| 4. | 42 | 4 मई 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि. | बोर्ड ने दिनांक 4.5.2023 के बोर्ड संकल्प सं. 32 के चर्चा की नोट में आशोधनों के साथ 4.5.2023 को हुई बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की. | सामान्य प्रशासन |
| 5. | 43 | ईपीसी एंजल के पोतावशेष की एमएसटीसी के जरिए नीलामी. | बोर्ड ने दिनांक 23.9.2022 के बोर्ड संकल्प संख्या 126 को अधिक्रमित करते हुए सामग्री प्रबंधन प्रभाग के जरिए 'जहाँ है जैसे है आधार पर' रु.3,50,000 की बयाना धन जमा राशि के साथ रु.1 पर ईपीसी एंजल के पोतावशेष को बेचने के उपसंरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया. | समुद्री |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 44 | नई एकीकृत पहुँच नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली - राजस्व साझेदारी आधार पर. | बोर्ड ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया -<br><br>(i) नोट के पैरा 11 में दिए गए मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव.<br>(ii) यातायात प्रबंधक, उप प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी तथा मुख्य अभियंता का समावेश करके एक समिति का गठन तथा इस समिति को अईएसीएसएस से संबंधित सभी आवश्यकताओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा.<br>(iii) 66 संख्या फास्ट टैग आईडी तथा फ्रंट कॅमेरा एएनपीआर रीडर के संस्थापन की स्थितियों पर बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. | संयुक्त निदेशक |
| 7. | 45 | पोर्ट तथा मेरीटाईम ट्रांस्पोर्ट में सर्क्युलर इकॉनॉमी तथा इएसजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलन्स की स्थापना हेतु प्रस्ताव. | बोर्ड ने नोट के पैरा 2 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया. | समुद्री |

------------